रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1993] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26,1937
No. 1993] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2015

का.आ.2541(अ)--निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा दो अन्य राज्यों अर्थात् पंजाब और हरियाणा के साथ मिली हुई है और सुखना वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत आती है जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भू-वैज्ञानिक रूप से अस्थायी है और इसलिए वर्षा के दौरान मिट्टी के कटाव के लिए उच्च रूप से प्रवण है । सुखना वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 25.9849 वर्ग किलोमीटर (6420.99 एकड़) है ।

इसके पारिस्थितिक, प्राणिजातीय, वनस्पतीय, आकृतिविज्ञानी, प्राकृतिक और भू-वैज्ञानिक महत्व के कारण इस क्षेत्र को चण्डीगढ़ प्रशासन की अधिसूचना सं. 694-एचआईआई(4)-98/4519 तारीख 6 मार्च, 1998 द्वारा वन्यजीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रजनन और विकास के प्रयोजन के लिए वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था ।

और जहाँ, भारत के वन्यजीव संस्थान के निर्देशन में, वन्यजीव अभयारण्य जनगणना, 2010 के दौरान, अनुसूची I और II कि दो प्रजाति और अनुसूची III कि तीन प्रजाति और अनुसूची IV कि बहुत सी प्रजाति को सुखना वन्यजीव अभयारण्य में सूचित किया गया था । उनमे प्रमुख प्रजातियाँ जो कि सुखना वन्यजीव अभयारण्य में उपस्थित है- तेदुआ, सांभर, भारतीय पेगोलियन, गोल्डन जैकाल, ग्रे लंगुर, जंगली सूअर, लाल जंगली मुर्गी, भारतीय मोर, चीतल, गोल्डन ओरीवली, कोबरा, रसैल, वाइपर, भारतीय पैथन इत्यादि तथा इनके अतिरिक्त विविध प्रकार कि तितिलियाँ (70 से अधिक प्रजाति) और अन्य कीड़े भी बहुलता में पाये जाते हैं ।

और, सुखना वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2.0 किलोमीटर से 2.75 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को सुखना वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2.0 किलो मीटर से 2.75 किलोमीटर के क्षेत्र तक विस्तारित है । पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 1050.0 हेक्टेयर (चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के पक्ष पर) है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र, इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम, जिनका क्षेत्र या उसका भाग इसके अंतर्गत आता है, खुदा, अलीशेर, कृष्णगढ़ और कायम्बवाला हैं ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना-(1) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से, एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगा।

(2) आंचलिक महायोजना संघ राज्यक्षेत्र की सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्यक्षेत्र की विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हों ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकीय और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** संघ राज्यक्षेत्र की सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 21, 24, 26, और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iii) वर्षा जल संचयन; और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पी भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट ऐसे विकास क्रियाकलापों को जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों, प्रतिषिद्ध करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, संघ राज्यक्षेत्र के पर्यटन विभाग की सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** -पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25

सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

5.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और विद्यमान वाणिज्यिक स्थापनों जैसे होटलों तथा रिसोर्टों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	भूमि उपयोग पैटर्न का परिवर्तन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
10.	भू-जल संचयन सहित वाणिज्यिक जल स्रोत ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में भू-जल सहित प्राकृतिक जल स्रोतों के वाणिज्यिक उपयोग को प्रतिषिद्ध किया जाएगा । जल के संदूषण या प्रदूषण के निवारण के लिए सभी कार्यवाहियां की जाएंगी ।
11.	नई उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों का परिनिर्माण ।	(i) नगर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों का बिछाना प्रतिषिद्ध होगा । (ii) नये विद्युत केबलों के परिनिर्माण को पारिस्थितिक संवेदी प्रबंध योजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (iii) भूगत केबिलों के बिछाने का संवर्धन किया जाएगा ।
12.	होटलों और लॉजों की बाड़ लगाना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में होटलों और लॉजों के परिसर की बाड़ लगाना प्रतिषिद्ध होगा ।
13.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	नगर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में विदेशी प्रजातियों को लाना प्रतिषिद्ध होगा ।
14.	मोबाइल टावर का परिनिर्माण।	नगर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में मोबाइल टावरों का परिनिर्माण प्रतिषिद्ध होगा ।
15.	आतिशबाजी/पटाखों का उपयोग ।	नगर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आतिशबाजी/पटाखों का उपयोग प्रतिषिद्ध होगा।
16.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के सिवाय, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी प्रकार के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे । (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप की दशा में, इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के साथ विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम पर रखा जाएगा ।
	आ. **विनियमित क्रियाकलाप**	
17.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
19.	वायु (ध्वनि सहित) और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन हेतु पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	स्ट्रीट लाइटों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।
24.	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
अनुज्ञाप्राप्त क्रियाकलाप :		
25.	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
26.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
27.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
28.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
29.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
30.	वानस्पतिक बाड़।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की सरकार - अध्यक्ष;

(ii) मुख्य वास्तुकार, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र - सदस्य ;

(iii) मुख्य इंजीनियर, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र - सदस्य ;

(iv) मुख्य इंजीनियर, नगर निगम, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र - सदस्य ;

(v) निदेशक नगर विकास, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र - सदस्य ;

(vi) सदस्य-सचिव, चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र-सदस्य ;

(vii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों से प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि - सदस्य

(viii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; - सदस्य ; और

(ix) संरक्षित क्षेत्र का प्रखंड वन अधिकारी, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र - सदस्य-सचिव ।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक कि अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/9/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित सुखना वन्यजीव अभयारण्य , चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमाएं और परिसीमाएं

बिन्दु ए से बी	सुखना वन्यजीव अभयारण्य के सीमा के उत्तर की ओर खुदा आलिशेर गांव से पीईसी की ओर उत्तर मार्ग तक साथ में संघ राज्य क्षेत्र तक जाती है ।
बिन्दु बी से सी	पीईसी उत्तर मार्ग के साथ होते हुए किशनगढ़ गांव की पक्की सड़क तक जाती है ।
बिन्दु सी से डी	किशनगढ़ गांव होते हुए किशनगढ़ की पक्की सड़क तक जाती है-आई टी पार्क के गोल चक्कर तक पहुँचती है ।
बिन्दु डी से ई	किशनगढ़ से- आई टी पार्क के गोल चक्कर से होते हुए संघ राज्य क्षेत्र की सीमा के साथ डी टी माल रोड तक पहुँचती है ।
बिन्दु ई से एफ	संघ राज्य क्षेत्र की सीमा के साथ में नियामक अंत हो जाता है ।
बिन्दु एफ से जी	संघ राज्य क्षेत्र की सीमा का नियामक अंत जहाँ होता है वही पास में संगम स्थल है ।
बिन्दु जी से एच	संघ राज्य सीमा के संगम स्थल बिन्दु के पास ही महादेवपुर गांव है ।
बिन्दु एच से आई	महादेव गांव में संघ राज्य क्षेत्र की सीमा के पास कंसा देवी मंदिर के निकट सुखना वन्यजीव अभयारण्य है ।
बिन्दु आई से जे	कंसा देवी मंदिर के पास झील आरक्षित वन की ओर कंबाला रोड पर संघ राज्य क्षेत्र की सीमा है ।
बिन्दु जे से के	कंबाला रोड पर आरक्षित वन का संघ राज्य क्षेत्र की ओर गांव कंसाल के संघ राज्य क्षेत्र की सीमा है ।
बिन्दु के से एल	संघ राज्य सीमा के साथ गांव कंसाल से सुखना वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सीमा की ओर गांव खुदाआलिशेर तक जाती है ।
बिन्दु एल से ए	संघ राज्य सीमा के साथ गांव कंसाल से सुखना वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सीमा की ओर गांव खुदाआलिशेर तक जाती है ।

* मौजूदा सड़क की स्थिति में, बीच में/ मौजूदा सड़क के केन्द्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन की क्षेत्र सीमा के रुप में लिया गया है । इसके अलावा सभी सीमा संघ राज्य क्षेत्र सीमा रेखा पर है ।

उपाबंध-II

सुखना वन्यजीव अभयारण्य , चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का मानचित्र

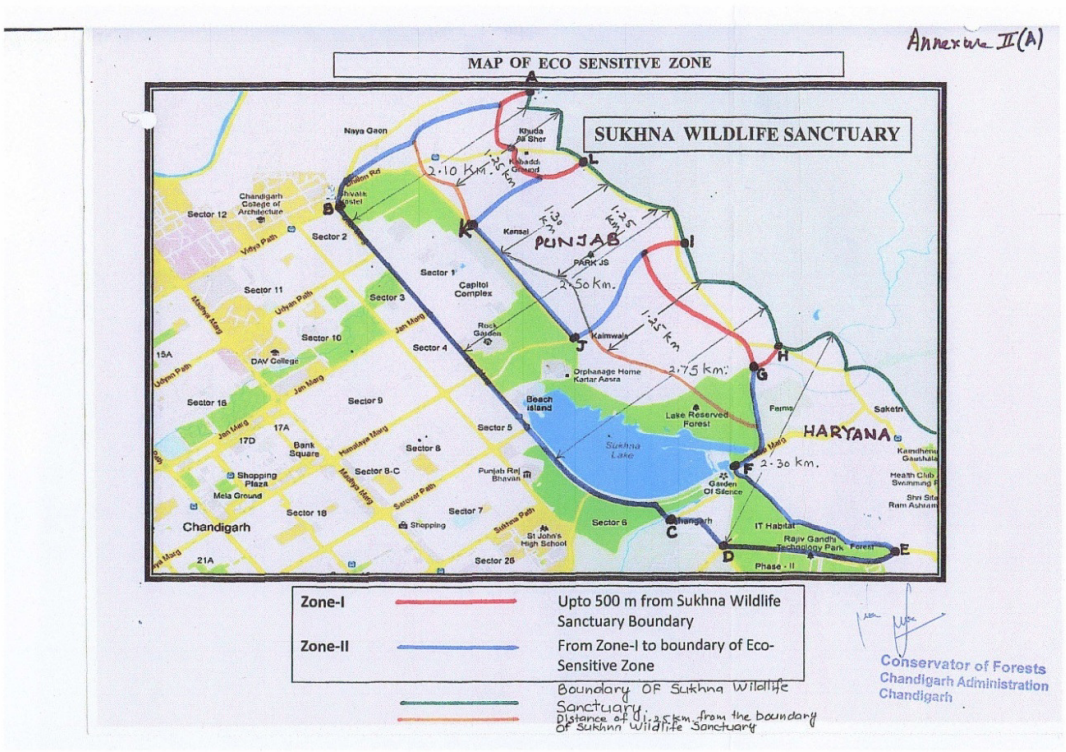

Annexure II(A)
MAP OF ECO SENSITIVE ZONE
SUKHNA WILDLIFE SANCTUARY
PUNJAB
HARYANA
Chandigarh
Zone-I
Upto 500 m from Sukhna Wildlife Sanctuary Boundary
Zone-II
From Zone-I to boundary of Eco-Sensitive Zone
Boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary.
Distance of 0-2.75 km from the boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary
Conservator of Forests
Chandigarh Administration
Chandigarh

उपाबंध-III

सुखना वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की बाह्य सीमा के महत्वपूर्ण बिंदु दर्शाने वाले निर्देशांक

बिन्दु	देशांतर	अक्षांश
ए	76^0 48′ 37.70″ पू	30^0 46′ 45.07″ उ
बी	76^0 47′ 28.57 ″ पू	30^0 46′ 01.22 ″ उ
सी	76^0 49′ 29.60 ″ पू	30^0 44′ 01.72 ″ उ
डी	76^0 49′ 48.85 ″ पू	30^0 43′ 51.68 ″ उ
ई	76^0 50′ 53.55 ″ पू	30^0 43′ 50.57 ″ उ
एफ	76^0 49′ 55.58 ″ पू	30^0 44′ 22.92 ″ उ
जी	76^0 50′ 13.19 ″ पू	30^0 44′ 57.21 ″ उ
एच	76^0 50′ 16.42 ″ पू	30^0 45′ 09.45 ″ उ
आई	76^0 49′ 37.84 ″ पू	30^0 45′ 48.31 ″ उ
जे	76^0 48′ 53.36 ″ पू	30^0 45′ 11.83 ″ उ
के	76^0 48′ 18.31 ″ पू	30^0 45′ 53.09 ″ उ
एल	76^0 49′ 01.59 ″ पू	30^0 46′ 13.83 ″ उ

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2015

S.O. 2541(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forestand Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Sukhna Wildlife Sanctuary of Union territory Chandigarh shares the boundary with two other States viz Punjab and Haryana and Sukhna Wildlife Sanctuary falls in the Shivalik Hills which are ecologically sensitive and geologically unstable and thus are highly prone to soil erosion during rains. (The total area of Sukhna Wildlife Sanctuary is 25.9849 square kilometres 6420.99 Acres).

AND WHEREAS, due to its ecological, faunal, floral, geo-morphological, natural and geological significance for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment, this area was declared as Wildlife Sanctuary *vide* Chandigarh Administration notification No. 694-HII(4)-98/4519 dated 6th March, 1998.

AND WHEREAS, as per Wildlife Census, carried out under the guidance of Wildlife Institute of India, during 2010, two species of Schedules I and II and three species of Schedule III and many species of Schedule IV of Wildlife (Protection) Act, 1972, were reported in Sukhna Wildlife Sanctuary. Among prominent species present in the Sukhna Wildlife Sanctuary are-Leopard, Sambar, Indian Pangolin, Golden Jackal, Grey Langur, Wild Boar, Red Jungle Fowl, Indian Peafowl, Chital, Golden Oriole, Cobra, Russell's Viper, Indian Python etc. apart from this a wide variety of butterflies (more than 70 species) and other insects are found in abundance.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Sukhna Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 2.0 kilometre to 2.75 kilometre from the boundary of the Sukhna Wildlife Sanctuary in Union Territory Chandigarh as the Sukhna Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1) The extent of Eco-sensitive Zone is varies from 2.0 kilometres to 2.75 kilometres from the boundary of the Sukhna Wildlife Sanctuary in Union territory Chandigarh. The area of Eco- sensitive Zone is 1050.0 hectares (on Union territory Chandigarh side).

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as-**Annexure I**.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**.

(4) The coordinates of Eco-sensitive Zone with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure III**.

(5) The villages whose area or parts thereof falling within the Eco-sensitive Zone are, Khuda, Alisher, Krishangarh and Kaimbwala.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The Union Territory Chandigarh shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The said Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Plan shall be prepared in consultation with all Union territory Government Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Chandigarh Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said plan shall provide the details for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The said Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by Union territory Government.-**The Union territory shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the Union territory Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 21, 24, 26 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(ii) Small scale industries not causing pollution;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans,

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the Union territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union Territory Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area etc. and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall be part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Union territory Government of Chandigarh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Union territory Chandigarh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone and accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within Eco-Sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the Union territory Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder..

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the Union territory Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder..

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder..

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under.-

(a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable mannerat site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone..

(10) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent Authority in the Union territory. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts andthe rules and regulations in force.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities:	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
5.	Commercial Establishment of hotels and resorts.	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be not be permitted within Eco-sensitive Zone.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
7.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
9.	Change of land use pattern.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
10.	Commercial water resources including ground water harvesting.	Commercial use of natural water resources including ground water will be prohibited in the Eco-sensitive Zone. All steps will be taken to prevent contamination or pollution of water.
11.	Erection of High tension Transmission lines.	(i) Laying of high tension transmission lines will be prohibited in the Eco-sensitive Zone of City Bird Sanctuary. (ii) Erection of new electric cables will be regulated as per Eco-sensitive Management Plan. (iii) Laying of underground cabling will be promoted.
12.	Fencing of premises of Hotels and lodges.	Fencing of premises of Hotels and Lodges will be prohibited in the Eco-sensitive Zone.
13.	Introduction of exotic species.	Introduction of exotic species will be prohibited in the Eco-sensitive Zone of City Bird Sanctuary.
14.	Erection of Mobile Tower.	Erection of Mobile Towers will be Prohibited in the Eco-sensitive Zone of City Bird Sanctuary.
15.	Use of Fireworks/ Crackers.	Use of Fireworks/Crackers in the Eco-sensitive Zone of City Bird Sanctuary will be Prohibited.
16.	Construction activities.	(a) No new construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per the Zonal Master Plan.

B. Regulated Activities:		
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the Central or the State Act and the rules made there under.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
19.	Air (including noise) and vehicular pollution.	As regulated under the law.
20.	Commercial Sign boards and hoardings.	As regulated under the law.
21.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	As regulated under the law.
22.	Erection of Street lights.	As regulated under the law.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environmentshall be permitted.
C. Permitted Activities:		
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under the law.
26.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
27.	Use of renewable energy sources.	Permitted under the law.
28.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Vegetative fencing.	Permitted under the law.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) Deputy Conservator Forest (WL), Government of Union territory (UT) Chandigarh– Chairman;

(ii) Chief Architect, UT, Chandigarh – Member;

(iii) Chief Engineer, UT, Chandigarh – Member;

(iv) Chief Engineer, Municipal Corporation UT, Chandigarh Member;

(v) Director Rural Development, UT, Chandigarh – Member;

(vi) Member Secretary, Chandigarh Pollution Control Committee, UT, Chandigarh -Member;

(vii) A representative of Non-governmental Organizations' working in the field of environment to be nominated by the Government of Union territory Chandigarh for a term of one year in each case – Member;

(viii) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of UT, Chandigarh for a term of one year in each case - Member; and

(ix) Divisional Forest Officer of Protected Area, UT Chandigarh – Member Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Conservator Forest (WL)shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the Union Territory per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and the Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/9/2015-ESZ/RE]

DR. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Limits and boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone of Sukhna Wildlife Sanctuary, Union territory Chandigarh.

Point A to B	On boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary from northern side of village Khuda Alisher towards PEC upto Uttar Marg along U.T. boundary.
Point B to C	From PEC along Uttar Marg to village Kishangarh causeway.
Point C to D	From village Kishangarh causeway to Kishangarh – I.T. Park road round about.
Point D to E	From Kishangarh – I.T. Park road Round about upto UT boundary along DT Mall road
Point E to F	Along UT boundary to Regulator End.
Point F to G	From regulator end along U.T. boundary upto near confluence point.
Point G to H	Near confluence point along U.T. boundary near village Mahadevpur.
Point H to I	Along U.T. boundary near village Mahadevpur to near Kansa Devi temple on Sukhna Wildlife Sanctuary boundary.
Point I to J	Near Kansa Devi temple towards Lake reserve forest on U.T. boundary on Kaimbwala road.
Point J to K	From U.T. reserve forest on Kaimbwala road towards village Kansal along U.T. boundary.
Point K to L	Along U.T. boundary near village Kansal to Sukhna Wildlife Sanctuary on eastern side of village KhudaAlisher.
Point L to A	Along U.T. boundary near village Kansal to Sukhna Wildlife Sanctuary on eastern side of village Khuda Alisher.

* In case of existing road, the middle/centre of the existing road has been taken as Boundary of Eco-sensitive zone. Other boundaries are on UT boundary line.

Annexure-II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary, Union territory Chandigarh.

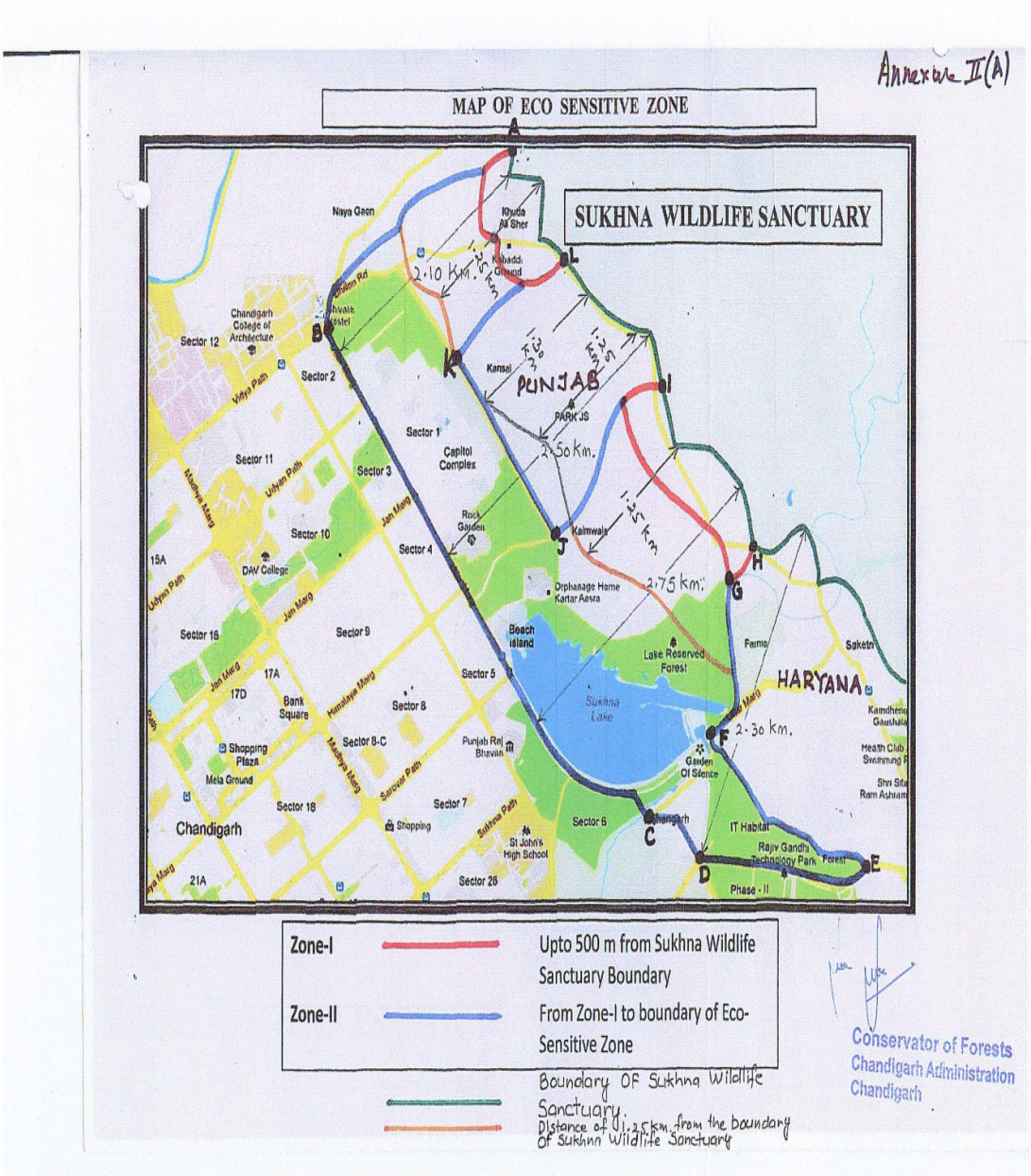

Annexure III

The coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone of Sukhna Wildlife Sanctuary, Union territory Chandigarh.

Points	Longitude	Latitude
A	76^0 48' 37.70" E	30^0 46' 45.07" N
B	76^0 47' 28.57 " E	30^0 46' 01.22 " N
C	76^0 49' 29.60 " E	30^0 44' 01.72 " N
D	76^0 49' 48.85 " E	30^0 43' 51.68 " N
E	76^0 50' 53.55 " E	30^0 43' 50.57 " N
F	76^0 49' 55.58 " E	30^0 44' 22.92 " N
G	76^0 50' 13.19 " E	30^0 44' 57.21 "N
H	76^0 50' 16.42 " E	30^0 45' 09.45 " N
I	76^0 49' 37.84 " E	30^0 45' 48.31 " N
J	76^0 48' 53.36 " E	30^0 45' 11.83 " N
K	76^0 48' 18.31 " E	30^0 45' 53.09 " N
L	76^0 49' 01.59 " E	30^0 46' 13.83 " N

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.